संख्या- 343 /2025/ 3463 /चार-2025-1734976

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2025**

विषय:- जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3395/सं0नि0-6(52)/2023-24 दिनांक 27 नवम्बर, 2025 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 135 /2024 / 599/चार-2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु रू0 148.17 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 9.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या- 336 /2024/ 2242 /चार-2024-734976 दिनांक 18 सितम्बर, 2024 द्वारा रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 146.83 लाख है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु **टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 146.83 लाख** में से पूर्व में **अवमुक्त धनराशि रू0 59.84 लाख** को घटाते हुए तथा **05 प्रतिशत (रू0 7.34 लाख) धनराशि रोकते हुए, अवशेष धनराशि रू0 79.65 लाख (रूपये उन्यासी लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 135 /2024/599/चार-2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 336 /2024/ 2242 /चार-2024-734976 दिनांक 18 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था – कन्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 79,65,000 (रुपये उनासी लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048004100 सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबंधक (प्रथम), सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-48, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), डा चूरामणि हॉस्पिटल के बगल में पी0सी0एफ0 आफिस के ऊपर, अलीगंज, बांदा।
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।